

प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक:एफ 5 (12-10)प्राशिमं/सामान्य/2011-12/ 3378

दिनांक

प्रधानाचार्य,

26 APR 2011

संलग्न सूची अनुसार।

विषय :- परीक्षा शुल्क एवं उससे संबंधित अन्य मदों में शुल्क वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा शुल्क एवं उससे संबंधित अन्य मदों में शुल्क वृद्धि राज्य सरकार के पत्रांक एफ 13(24)त.शि./1978-पार्ट जयपुर दिनांक 04.04.11 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

क्रम संख्या	विवरण	परीक्षा शुल्क
1.0	परीक्षा शुल्क ( सिमेस्टर /वार्षिक प्रणाली नियमित परीक्षार्थी ) परीक्षा फार्म सहित	
1.1	परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क रहित	
2.0	परीक्षा शुल्क सिमेस्टर / वार्षिक प्रणाली बाह्य परीक्षार्थी परीक्षा फार्म सहित	1000
2.1	एक विषय	
2.1.1	परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क रहित	300
2.2	दो विषय	
2.2.1	परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क रहित	600
2.3	दो विषय से अधिक	
2.3.1	परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क रहित	1000
3.	इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग परीक्षा शुल्क सेमेस्टर प्रणाली नियमित/बाह्य परीक्षार्थी	
3.1.1	परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क रहित परीक्षा फार्म सहित	600
4.	अस्थाई (प्रोविजनल) प्रमाण पत्र मंडल द्वारा जारी करने का शुल्क	100
5.	अनुलिपि अंक तालिका जारी करने का शुल्क	100
6.	मूल व अनुलिपि प्रव्रजन (माइग्रेसन) प्रमाण पत्र जारी करने का शुल्क	100
7.	डिप्लोमा प्रमाण पत्र (अंग्रेजी लिपि में) का शुल्क	100
8.	डिप्लोमा प्रमाण पत्र की अनुलिपि जारी करने का शुल्क	100
9.	अंक तालिका (हिन्दी/अंग्रेजी लिपि में) का शुल्क	100
10.	क: स: 4 से 9 हेतु आवश्यक अतिरिक्त शुल्क भार (अर्जेंट शुल्क भार सहित) प्रति अंकतालिका/प्रमाण पत्र (साधारण शुल्क के अतिरिक्त लिया जावेगा)	100
11.	नामांकन प्रपत्र शुल्क	100
12.	परीक्षा फार्म शुल्क	निशुल्क
13.	अनुलिपि प्रवेश पत्र का शुल्क	100
14.	मण्डल की अंकतालिका प्रेषण तिथि से 30 दिन के पश्चात् मण्डल द्वारा जारी की गयी मूल अंकतालिका में त्रुटि को संशोधन कराने का निर्धारित शुल्क	100
15.	अवितरित मूल डिप्लोमा पत्र भिजवाये जाने का शुल्क	100
16.	अकों की पुनः गणना का निर्धारित शुल्क प्रति विषय	100

यह वृद्धि 1 मई 2011 से प्रभावी होगी। कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करें।

६०

( अमय सिंह यादव )  
संयुक्त निदेशक एवं सचिव

कमांक: एफ 5(12.10)प्राशिम/सामान्य/2011-12/ 3378

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

26 APR 2011

1. संयुक्त निदेशक (ई-2), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. उप निदेशक (सी0डी0सी0), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. कार्यालयध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. प्रभारी, गोपनीय/परीक्षा/प्रतियुक्त/विकास प्रकोष्ठ/लेखा/भण्डार/खजांची प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।

( बी0एल0धायल )  
उपनिदेशक सी0डी0सी0)